



(कोर्ट फी) /
10/-

समक्ष न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर
कंप भोपाल - म0प्र0

95

PBR/मिगरनी/होशंगाबाद/भूरु/2018/प्रस्तुति दिनांक
7069

पुनरीक्षण प्र0क्र0

महेश कुमार तिवारी
आ0 स्व0 श्री गेंदालाल तिवारी, उम्र 78 वर्ष,
निवासी 90- पारस मेजेस्टिक कालोनी,
त्रिलंगा, भोपाल - म0प्र0

पुनरीक्षण कर्ता

अवि० अ.प्रि.मा.प्र.उ.
श्री सुकुल घारीवाल
द्वारा माफ दिनांक-1/2/18
में भोपाल जज में प्रस्तुत।

विरुद्ध

11/2/18

- ✓1 दिनेश कुमार तिवारी ✓
आ0 स्व0 श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी 42- पारस मेजेस्टिक कालोनी,
त्रिलंगा, भोपाल - म0प्र0
- ✓2 ललित किशोर तिवारी ✓
आ0 स्व0 श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी हरिशंकर मिठाई वाले का मकान,
शनीचरा मोहल्ला, कोरी घाट
होशंगाबाद - म0प्र0
- ✓3 श्रीमति कीर्ती शर्मा ✓
पत्नी स्व0 डी0पी0 शर्मा
द्वारा पुत्र भूपेंद्र शर्मा, वाणिज्य निरीक्षक
डी0आर0एम0 ऑफिस, जबलपुर - म0प्र0
- 4 विजय कुमार तिवारी
आ0 स्व0 श्री गेंदालाल तिवारी,
निवासी पटेल शॉ मिल्स के सामने,
आर्वी, जिला वर्धा (महाराष्ट्र)
- 5 श्रीमति सुशीला पांडे
पुत्री श्री गेंदालाल तिवारी
आर्य समाज मंदिर के सामने, गंज सिहोर - म0प्र0
- ✓6 सुशील कुमार तिवारी
आ0 स्व0 श्री गेंदालाल तिवारी,
द्वारा बी0के0 गंगेले, 61 प्रोफेसर कॉलोनी,
दमोह - म0प्र0
- 7 श्रीमति रक्षा नायक
पत्नी स्व0 शैलेंद्र नायक
द्वारा श्रीमति सुशीला पांडे
आर्य समाज मंदिर के सामने, गंज सिहोर - म0प्र0

नोट:- माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक
29-8-18 के पालन में संशोधन किया गया।

- 8 रेवा राम झा, वीरत सिंह मीना
कि: रिवाडिया तह बावई फिदा होशंगाबाद
- 9 तातार सिंह झा, योशन्तत मीन
कि: राम रिवाडिया जमी तह बावई होशंगाबाद
- 10 नर्मदा प्रसाद झा, रामचरण अद्विबाद
कि:- चौदता भूक तह बावई
होशंगाबाद

प्रत्यर्थांगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959



(अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्र0 22/अपील/09-2010 में पारित आदेश दिनांक
12/12/2017 एवम 12/01/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका)



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./18/1069

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 29-1-2019 | <p>आवेदक की ओर से श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री विनय जैन, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 7, 8, 9 की ओर से श्री एस.आर. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-3-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;">  २१३२ </p> <p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p> | |